

प्रारूप-2

प्रमाण-पत्र (एस.सी./एस.टी)

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि

श्री/श्रीमत/कु०.....

सुपुत्र/सुपुत्री/श्री..... निवासी-ग्राम/मोहल्ला

..... तहसील नगर

..... जिला.....उ.प्र. राज्य कीजाति के

व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश,1950(जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ है)संविधान (अनुसूचित जनजाति,30प्र0)आदेश, 1967 के अनुसार जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कु.....तथा/अथवा उनका परिवार उ.प्र. के

ग्राम/मोहल्ला.....तहसील.....नगर

जिला..... में सामान्यतः रहता है।

स्थान- हस्ताक्षर.....

दिनांक- पूरा नाम.....

मुहर पद नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/

तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/

जिला समाज कल्याण अधिकारी।